

International Multidisciplinary
Research Journal

*Indian Streams
Research Journal*

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty

Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari

Professor and Researcher ,

Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera

Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Mohammad Hailat

Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Hasan Baktir

English Language and Literature Department, Kayseri

Janaki Sinnasamy

Librarian, University of Malaya

Abdullah Sabbagh

Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana

Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Romona Mihaila

Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu

Spiru Haret University, Bucharest

Anna Maria Constantinovici

AL. I. Cuza University, Romania

Delia Serbescu

Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Loredana Bosca

Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea,

Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra

DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida

Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang

PhD, USA

Titus PopPhD, Partium Christian

University, Oradea,Romania

George - Calin SERITAN

Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade

ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

Iresh Swami

Ex - VC. Solapur University, Solapur

Rajendra Shendge

Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Patil

Head Geology Department Solapur University,Solapur

N.S. Dhaygude

Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yalikal

Director Managment Institute, Solapur

Rama Bhosale

Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Narendra Kadu

Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar

Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

Salve R. N.

Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

K. M. Bhandarkar

Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya

Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Govind P. Shinde

Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar

S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava

Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar

Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary

Director,Hyderabad AP India.

Rahul Shriram Sudke

Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Awadhesh Kumar Shirotiya

Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

S.Parvathi Devi

Ph.D.-University of Allahabad

S.KANNAN

Annamalai University,TN

Sonal Singh,

Vikram University, Ujjain

Satish Kumar Kalhotra

Maulana Azad National Urdu University



“भूकम्प प्रभावित विधवा महिलाओं के विकास में आपदा प्रबंधन की भूमिका” (गुजरात राज्य के भुज तालुका के सन्दर्भ में)

Dharmendra Singh Chouhan

Ph.D. Scholar (Geography), S.A.B.V. G.A.C.C. (DAVV), Indore, M.P., India

शोध सारांश –

भारत का गुजरात राज्य पूर्वकाल से ही भूकंप ग्रस्त क्षेत्रों की सूची में दर्ज है। जिसमें 26 जनवरी 2001 को सुबह 8.46 मिनट पर आया भूकंप 185 वर्ष के दर्ज इतिहास में भूस्तरीय शास्त्र का सबसे बड़ा भूकंप था, इस प्राकृतिक आपदा में अनेकों लोग बेघर हो गये जिसे एक पक्ष विधवा महिला के रूप में सामने आया। इस हेतु भारत सरकार एवं गुजरात राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने सम्मिलित प्रयास किये। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत विधिक, वित्तीय और



समन्वय तंत्र निर्धारित किए गए हैं। शोधार्थी द्वारा एक निश्चित उद्देश्य लेकर 50 विधवा महिला परिवारों को चुना गया जिनेस प्राथमिक आँकड़े संकलित किये गये जिसमें भुज तालुका के गांव एवं भुज शहर की कालोनियाँ सम्मिलित हैं। शोध अध्ययन में पाया गया आपदा प्रबंधन विभाग ने भूकंप से हुए नुकसान की ल1 से लेकर ल5 तक पाँच श्रेणियाँ बनाई। जिसमें पर्याप्त भ्रष्टाचार देखने को मिला। इसके अलावा वर्तमान समय में भी आपदा प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी देखा गया।

शब्द कुंजी – भूकंपग्रस्त, आपदा,

समन्वय तंत्र, आपदा प्रबंधन, भूस्तरीय शास्त्र।

प्रस्तावना –

‘भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 है। जिसमें महिला जनसंख्या 61,43,97,079 एवं पुरुष जनसंख्या 6,55,875,026 है, तथा लिंगानुपात 940 महिलाएँ प्रति हजार पुरुषों पर है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है। भारत भूमि अनेक विभिन्नताएँ लिये हुए है। जिसमें धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, कार्यप्रणाली, रीति-रिवाज, गतिविधियाँ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके साथ ही साथ भौतिक एवं भौगोलिक विभिन्नताएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, सागर, वन, मृदा आदि प्रमुख हैं। भारत में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वर्षाऋतु, शीतऋतु, ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। भारत जैसे देश के इतने विशाल जनसमुदाय एवं प्राकृतिक तंत्र को अनेकों बार आपदाओं-विपदाओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें मानव जनित एवं प्राकृतिक दोनों आपदाएँ मानव समुदाय को खतरा पैदा करती है। बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, आगजनी, औद्योगिक संकट, सुनामी आदि ऐसी घटनाएँ हैं, जिनसे भारत में अनेकों जनसमुदाय नष्ट हो गये हैं। इन आपदाओं से लोग विकलांग हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। महिलाएँ विधवा हो जाती हैं, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। गुजरात राज्य में आया भूकंप इसका उदाहरण है। गुजरात राज्य भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान और उत्तर-पूर्व में राजस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात राज्य की जनसंख्या 60,38,36,28 है। मुख्य भाषा गुजराती है। जिलों की संख्या 26 है। इस राज्य का भुज तालुका जो कि कच्छ जिले में स्थित है कच्छ का मुख्यालय है। कच्छ कोई शहर न होकर एक सीमा केतहत् भू-भाग का नाम है। इसका क्षेत्रफल 45,612 वर्ग कि.मी. है। ऐसा माना जाता है कि कच्छ नाम जिले की कछुए जैसी आकृति के कारण पड़ा है। प्राचीन महानगर धोलावीरा, जहाँ पुरातन सिंधु संस्कृति विकसित हुई थी, कच्छ जिले में स्थित है। भुज तालुका कच्छ के प्रशासनिक संकुल का केन्द्र

है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार इस तालुका की कुल जनसंख्या 187279 है, जिसमें 98124 पुरुष तथा 89065 महिलाएँ हैं। बच्चों की जनसंख्या 20715 है, जिसमें 10854 बालक एवं 9861 बालिकाएँ हैं जो 1 से 6 वर्ष की उम्र के हैं। लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 907 महिलाएँ हैं। औसत साक्षरता दर 87 प्रतिशत है। जिसमें 91.881 प्रतिशत पुरुष साक्षरता एवं 81.51 महिलाएँ साक्षर हैं। भुज तालुका में 160 गांव स्थित हैं।

भुज शहर की जनसंख्या सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 147123 है जिसमें 77,900 पुरुष तथा 69223 महिलाएँ हैं। औसत साक्षरता दर 87.90 प्रतिशत है, जिसमें 92.29 प्रतिशत पुरुष एवं 82.10 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। लिंगानुपात प्रतिहजार पुरुषों पर 889 महिलाएँ हैं।¹

‘गुजरात राज्य पूर्वकाल से ही भूकंप ग्रस्त क्षेत्रों की सूची में दर्ज है, भारत में सन् 1819 से 2001 तक आने वाले सबसे तीव्रता वाले 21 भूकम्पों में से तीन भूकंप गुजरात में आये जो कि 16 जून 1919, 21 जुलाई 1956, 26 जनवरी 2001 में आये थे। इनकी तीव्रता क्रमशः 8.0 (कच्छ), 7.0 (अंजार), 6.9 (भुज) रिक्टर स्केल थी। 26 जनवरी 2001 को सुबह 8.46 मिनट पर आया भूकंप 185 वर्ष के दर्ज इतिहास में भूस्तरीय शास्त्र का सबसे बड़ा भूकंप था, जो कि भारत के लिये सबसे विनाशकारी, भूगर्भीक आपदा के रूप में दर्ज हो गया।

भारत सरकार की आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18600 लोग मारे गये 167000 लोग घायल हो गये, 4 लाख मकान ध्वस्त हो गये यह संख्या अनुमानित थी। इसके अलावा 22000 कराड़े रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। इस भूकम्प से गुजरात के 22 जिले प्रभावित हुये।

इस क्रम में एक पहलु महिलाओं का आता है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि नारी का मानव सृष्टि में ही नहीं वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। नारी और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। अनेक परिवार से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। यदि हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है। परंतु नारी की प्रस्थिति सभी समाज में एक समान नहीं है। इसमें भी विधवा महिला पक्ष ज्यादा आहत हुआ है। गुजरात की इस भयावह त्रासदी से मानव समुदाय के सभी पक्ष प्रभावित हुये। जिसमें एक पक्ष विधवा महिला के रूप में था। उनके सामने अनेको समस्याएँ मूँह बाये खड़ी थी। जिसमें खाने-पीने, आवास की, कपड़ों की, भौतिक तथा मानसिक दुख तथा प्रताड़ना की समस्याएँ प्रमुख हैं। इन विधवा महिलाओं की संख्या के बारे में भारत सरकार एवं गुजरात सरकार आज तक सही आंकलन नहीं कर पायी। यही कारण है कि इन महिलाओं को मूलभूत सुविधाएँ तो दूर इनका विधवा सूची में नाम तक दर्ज नहीं हो पाया है। शासन द्वारा इन महिलाओं को व्यवस्था प्रदान कि गई। इसके अलावा गैर-सरकारी संगठनों जैसे बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तय स्वामी नारायण संस्था, कच्च नवनिर्माण अभियान, एकलनारी मंच भुज, ऑक्स फेम इन अर्थ क्वैक, उन्नति आर्गनाइजेशन, केयर एक्सटेंशन, रेडक्रॉस, एनएसएस ने भी पुनर्वास कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है।²

शोध समस्या का चयन – प्रत्येक अनुसंधान किसी प्रश्न अथवा समस्या को लेकर प्रारम्भ किया जाता है। अतः क्यों, कब, कैसे और कौन प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। एक शोधार्थी के रूप में मध्यप्रदेश से 800 कि.मी. दूर गुजरात राज्य के भुज तालुका में जाकर भूकंप पीड़ित, विशेषकर विधवा महिलाओं के पुनर्वास का अध्ययन, शासन की भागीदारी का अध्ययन तथा विधवा महिलाओं की भूकंप पूर्व तथा पश्चात् सामाजिक स्थिति का अध्ययन निश्चित ही चुनौती पूर्ण विषय था। अतः यह समस्या शोधार्थी द्वारा अपने शोध हेतु चुनी गयी।

अध्ययन का महत्व – इस अध्ययन में विधवा हुई उन महिलाओं को ध्यानाकर्षण का केन्द्र बनाया गया। जिनका भूकंप के कारण आशियाना उजड़ गया है। एक शोधार्थी होने के नाते हमारा दायित्व उनके दर्द को महसूस करना एवं वास्तविक अध्ययन करना है। अतः यह शोध महत्वपूर्ण बन जाता है।

1. भारत की जनगणना रिपोर्ट वर्ष 2011

2. Gupta Harsh K., ‘Bhuj Earth quake 26-01-2001’ PP. 275

उद्देश्य –

1. गुजरात राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग का अध्ययन करना।
2. भूकंप में विधवा परिवार के हताहत सदस्यों की जानकारी लेना।
3. आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आकस्मिक सहयोग का अध्ययन करना।
4. विधवा महिलाओं को आपदा प्रबंधन द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधाओं का अध्ययन करना।
5. वर्तमान समय में आपदा प्रबंधन की भूमिका का अध्ययन करना।

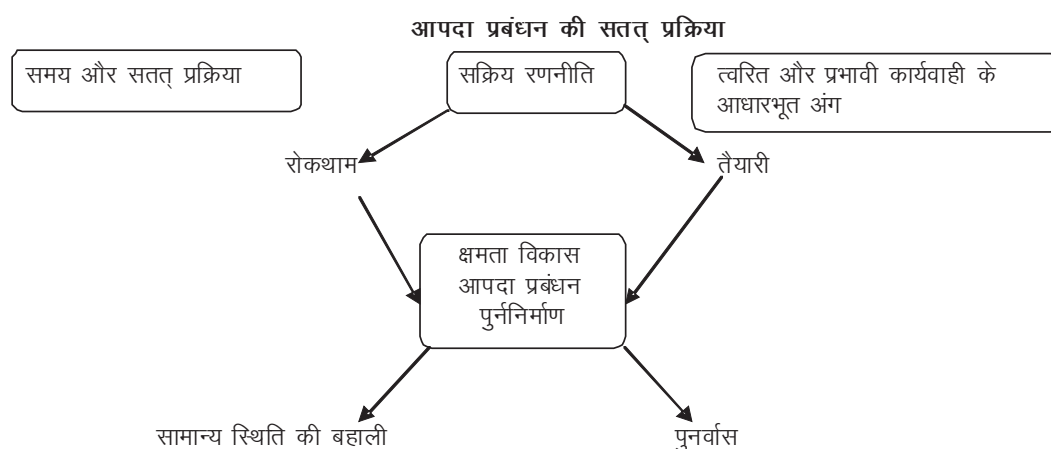
शोध प्रविधि –

‘गुजरात राज्य का भुज तालुका अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लिया गया। जिसमें भुज शहर की कॉलोनिया एवं गांव अध्ययन का समग्र है। एवं उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से 50 विधवा महिला परिवारों का चयन किया गया है तथा अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, समूह चर्चा द्वारा प्राथमिक आँकड़े संकलित किये गये हैं। द्वितीयक आँकड़े पुस्तक, जर्नल, स्वयं सेवी संगठन, सरकारी कार्यालयों, इंटरनेट, शोध पत्र आदि से द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आपदा प्रबंधन (Disaster Management) विभाग का अध्ययन :- आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानव जन्य कारणों से आने वाली किसी ऐसी विपत्ती, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे है। आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित के लिए आवश्यक अथवा समीचीन योजना, संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत् और एकीकृत प्रक्रिया शामिल है।

1. किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम।
2. किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रषमन अथवा न्यूनीकरण।
3. अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण।
4. किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी।
5. किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा आने पर त्वरित कार्यवाही।
6. किसी आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का आकलन।
7. फंसे हुए लोगों को निकालना, बचाव और राहत पुनर्वास और पुर्ननिर्माण।

आपदा प्रबंधन की विशिष्ट सतत् प्रक्रिया में छः तत्व शामिल हैं आपदा पूर्व चरण में रोकथाम प्रगमन और तैयारी शामिल है, जबकि आपदा उपरांत चरण में कार्यवाही, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली शामिल है।



भूकंप तथा आपदा प्रबंधन का संबंध :-

आपदा प्रबंधन की भूकम्प संबंधी कार्ययोजना में निम्न तत्वों को शामिल किया जाता है।

1. जनजागरण एवं शिक्षा :-

बचाव के उपायों का प्रशिक्षण देना, भूकम्प के संकेतों का पहचानना, भूकंपमापी यंत्र (सिस्मोग्राफ) लगाना आदि।

2. भूकंप से बचाव हेतु सुरक्षा के निर्देश

3. आपदा प्रबंधन दल :-

आपदा प्रबंधन विभाग के निम्नलिखित ढांचे के अनुसार कार्य किया जाता है।

- | | |
|------------------|--|
| 1. सुरक्षा दल | — पुलिस विभाग, सीमा सुरक्षाबल |
| 2. सर्वेक्षण दल | — राजस्व विभाग |
| 3. बचाव दल | — पुलिस, स्वयं सेवी संस्थाएँ |
| 4. अस्थायी शिविर | — राजस्व विभाग |
| 5. खाद्य आपूर्ति | — खाद्य विभाग |
| 6. पुनर्वास | — वन विभाग, लोक निर्माण, विकास प्राधिकरण |
| 7. स्वास्थ्य | — स्वास्थ्य विभाग |
| 8. सफाई | — नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत |

4. आपदा नियंत्रण केन्द्र:-

आपातकालीन स्थिति से राहत एवं बचाव कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु मुख्य आपदा नियंत्रण केन्द्र एवं कई उपकेन्द्र कक्ष गठित किये जाते हैं।

5. कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना :-

प्रभावित क्षेत्र को तत्काल संरक्षण प्रदान करना। गैर कानूनी गतिविधि जैसे चोरी, सामान उठाकर ले जाने जैसे स्थिति को रोकना। संचार की व्यवस्था शीघ्र ठीक करना।

6. राहत कार्य हेतु केन्द्रीय और राज्य शासन की भूमिका:-

प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव तथा पुनर्वास का दायित्व राज्य का होता है। केन्द्र शासन सहायक की भूमिका निभाता है। जैसे – भौतिक एवं वित्तीय सहायता तथा यातायात सुलभता एवं अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिवहन में सहायता करता है।

7. राहत शिविर :-

इस शिविर में आपदा प्रभावित व्यक्तियों को निम्न सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

1. क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत टेंट लगाना, बेबस लोगों को सामुदायिक भवन, स्कूल कॉलेज में ठहराने की व्यवस्था।
2. पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी एवं चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना। इस प्रकार आपदा से बचाव, सुरक्षा एवं नियंत्रण नियोजित तरीके से किया जाता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 .

इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत, विधिक, वित्तीय और समन्वय तंत्र निर्धारित किए गए हैं। ये संस्थाएँ समानांतर ढांचे नहीं हैं तथा ये गठन समन्वय में कार्य करेगी। नए संस्थागत ढांचे से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है। जिससे राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर एक सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशासन पर अधिक बल दिया गया है।

वर्तमान समय में आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में विकसित हो रहा है, विभिन्न देशों में आपदा प्रबंधन के विशिष्ट संस्थान प्रारम्भ किये जा रहे हैं।⁹

‘गुजरात राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग एक सुदृढ़ नीति बनाकर कार्य करने वाला एक प्रमुख तंत्र है। जिसका ढाँचा राज्य, जिला, तालुका, शहर ग्राम स्तर तक विकसित है। यह आपदा के पूर्व तैयारी की ट्रेनिंग एवं आपदा के बाद

3. नीतिमार्ग पत्रिका, अप्रैल 2011, अंक-2, पेज नं. 8

में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अकाल, बाढ़, भूकम्प, आग, औद्योगिक त्रासदी, बीमारियों के प्रकोप आदि से बचाव निश्चित करता है। यह ग्रह मंत्रालय सरकार द्वारा संचालित होता है। तथा राज्य स्तर पर राज्य की कार्यकारिणी होती है। पुनर्वास कार्यक्रम में इस विभाग ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। मकान ध्वस्त होने के तुरंत बाद नये पुनर्वास के विकल्प के रूप में टीन शेड बनाये गये तथा धीरे-धीरे व्यवस्था को सुचारु करने में 1 से 2 साल लग गये। इस प्रक्रिया में निराश्रितों को भोजन एवं कपड़े की व्यवस्था की गयी जिसमें अन्य गैर-सरकारी संगठनों ने भी सहायता की।

‘गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) त्रिस्तरीय संरचना का है। जिसमें राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस संरचना के तहत समुदायों को पुनर्वास योजना में भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भूमिका निभाई है।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र भुज तालुका के विकास एवं सुविधाओं को प्रदान करने तथा भूकम्प के समय तुरंत सहायता पहुँचाने में गुजरात राज्य के आपदा प्रबंधन (GSDMA) ने भरपुर सहयोग एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। यह कच्छ जिले के मुख्यालय भुज शहर में स्थित है। तथा इसका सम्बन्ध भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से हैं। यह विभाग आग, भूकंप, सुनामी, बाढ़, औद्योगिक त्रासदी आदि आपदाओं के समय सक्रिय भागीदारी निभाता है। गुजरात राज्य के GSDMA ने ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, बचाव कार्य, जनजागरण हेतु पुस्तिकाओं का प्रकाशन मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक तीन रूपों में किया जाता है।

यह विभाग रेडियो, टी.वी. चैनल, खेलों, प्राथमिक उपचार के तरीकों, सेलेब्रेशन, क्रियाविधि योजना, वर्कशॉप ट्रेनिंग के माध्यम से आपदाओं से बचाव के तरीके सुझाता है।

इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में कड़िया कामनु साहित्य, आपत्ति झेलम-व्यवस्थापन कार्यक्रम, वावाझोडु मार्गदर्शिका, औद्योगिक अकस्मात, स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, ऊँचाई से बचावरी रोथ, विपत्ती, शहरी भूकंप निर्धारित कार्यक्रम प्रमुख है। भुज स्थित इस विभाग ने भूकंप के समय तुरंत मीटिंग लेकर निर्णय लिया तथा अलग-अलग समस्याएँ सम्बन्धित विभाग को जिम्मेदारी के तहत सौंपी गयी। जिसमें सुरक्षा, सर्वेक्षण, बचाव, शिविर, खाद्य सामग्री, पुनर्वास स्वास्थ्य, सफाई हेतु क्रमशः पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस एवं स्वयं सेवी संस्थाएँ, राजस्व विभाग, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, वन विभाग एवं लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गयी।

आपदा प्रबंधन विभाग में विधवा महिलाओं के लिए यद्यपि अलग से कोई पॉलिसी नहीं है, परंतु यह अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के हर पहलु को प्रभावित करता है। शोधार्थी द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य ऑफिस दिल्ली, अहमदाबाद एवं भुज पर सम्पर्क किया गया। वहाँ से संतुष्टी क्रियाविधि देखी गयी तथा भूकंप प्रभावित वे महिलाएँ जिन्हें उद्देश्यपूर्ण तरीके से सूचीबद्ध लेकर अध्ययन किया गया। उनके पुनर्वास क्षेत्र में जाकर आपदाप्रबंधन विभाग के सहयोग के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी जिसमें कुछ बिन्दु उभर कर सामने आए।

- ⇒ आपदा प्रबंध विभाग ने भूकंप से नुकसान की पांच श्रेणियाँ बनाई जिसमें G1 – 91146, G2 – 50944, G3 – 38773, G4 – 50218, G5 – 119909 है। जिसमें G5 अर्थात् पूर्णतः मकान ध्वस्त था, इसमें 90000 रुपये देने का प्रावधान ग्राम पंचायत में था, जिसमें शोधार्थी द्वारा पर्याप्त भ्रष्टाचार देखा गया, लोगों का कहना था कि जब हमने खुद पुनर्वास हेतु मकान बनाने की बात कही तो हमें G3-श्रेणी अर्थात् 30000, रुपये पर केन्द्रित कर दिया गया।
- ⇒ कुछ गांवों में इस श्रेणी में मकान बनाकर दिये किन्तु गढ़ा, डोरी, लोरीया, भुजोडी, रुद्राणी, तराया, नपारा में शासन एवं प्रायवेट कम्पनी की सांठगांठ से भ्रष्टाचार में खूब पैसा कमाया गया।
- ⇒ यह विभाग भुज शहर में अपना काम करने में सफल हो सका, जिसमें राहतशिविर स्वास्थ्य शिविर, पुनर्वास लगाने में कामयाब रहा।
- ⇒ ढ़ैकड। डेवलोपमेन्ट प्लान स्टेज के तहत शहरी नियोजन, रोजगार नियोजन प्लॉन, NGO's के साथ तालमेल, प्रोफेशनल ग्रुप के साथ संपर्क व्यक्तिगत कार्यप्रणाली, पब्लिक मीटिंग आदि के तहत महत्वपूर्ण कार्य करता है।⁴

भूकंप में विधवा परिवार के हताहत सदस्य

क्र.	मृत सदस्यों की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एक	34	68
2	दो	08	16
3	तीन	05	10
4	तीन से ज्यादा	03	06
योग		50	100

शोधार्थी द्वारा भूकंप हताहत पारिवारिक सदस्यों के बारे में विधवा महिलाओं से पूछे गये प्रश्नों में 68 प्रतिशत महिलाओं से पूछे गये प्रश्नों में 68 प्रतिशत महिलाओं ने उनके परिवार का एक सदस्य मृत होना अर्थात् उनके पति की मृत्यु होना बताया, दो सदस्यों की मृत्यु में 16 प्रतिशत तीन सदस्यों की मृत्यु में 10 प्रतिशत तथा तीन से ज्यादा सदस्यों की मृत्यु में 6 महिलाओं में जवाब दिया जिसमें उनके पति के साथ भी अन्य सदस्य थे।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आकस्मिक सहयोग

क्र.	सहयोग का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	आकस्मिक	33	66
2	वैकल्पिक आवास	08	16
3	सहायता राशि	01	02
4	भोजन, पानी, कपड़ा, अन्य सुविधा	08	16
योग		50	100

विधवा महिलाओं से शोधार्थी द्वारा पूछे जाने पर 42 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे इस विभाग के जानकारी रखती हैं। इन महिलाओं में से 66 प्रतिशत आकस्मिक सुविधा, 16 प्रतिशत वैकल्पिक आवास 2 प्रतिशत सहायक राशि, 16 प्रतिशत बुनियादी सुविधाओं में आपदा प्रबंधन का सहयोग मानती हैं।

विधवा महिलाओं को अलग से सुविधा

क्र.	सुविधाओं का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	नगण्य	45	90
2	जवाब नहीं दे पायी	2.5	05
3	बुनियादी सुविधाएँ	1.5	03
4	शासन की ओर से सुविधा	01	02
योग		50	100

आपदा प्रबंधन विभाग ने विधवाओं को अलग से सुविधा दिये जाने पर 90 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि कुछ भी सुविधा नहीं दी है। 5 प्रतिशत महिलाएं इस विषय में जवाब नहीं दे पायी 02 प्रतिशत ने कहा कि हमारी सुची बनाकर लाभान्वित करवाया।

4. राजपूत, चेतना (2001), 'आपदा प्रबंधन विभाग रिपोर्ट भुज', पेज नं. 20

वर्तमान समय में आपदा प्रबंधन विभाग की भूमिका

क्र.	विकल्प	आवृत्ति	प्रतिशत
1	जनजागरण अभियान	31	62
2	आपदा प्रशिक्षण	10	20
3	भ्रष्टाचार	05	10
4	कुछ कार्य नहीं	09	18
योग		50	100

वर्तमान समय यानी 2015 के परिप्रेक्ष्य के रूप में पूछे जाने पर 62 प्रतिशत महिलाओं ने जागरूकता, 20 प्रतिशत ने प्रशिक्षण देना स्वीकार किया परंतु 18 प्रतिशत ने कहा से हमारे उत्थान में कोई कार्य नहीं कर रही है। इसी क्रम में 10 प्रतिशत ने इसे भ्रष्टाचार का अड़्डा बताया उनका मानना था कि पुनर्वास से लेकर विधवा पेंशन वितरण तक में हमारे साथ अन्याय हुआ है।

उपरोक्त सुविधाओं को देखते हुए एवं उत्तर-प्रत्युत्तर के द्वारा ज्ञात होता है, कि विधवा महिला के उत्थान के लिए विशेषकर भूकंप में विधवा हुई विधवा महिलाओं की अलग से सुविधा प्रदान कर सकने में आपदा-प्रबंधन का सहयोग नगण्य है। परंतु आकस्मिक सहायता देने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष :-

इस शोध अध्ययन के दौरान पाये गये बिन्दुओं का सार निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है :-

- भूकंप में टुट हुए मकानों के पुनर्वास की योजना में आपदा प्रबंधन विभाग, गैर सरकारी संगठनों, समाजसेवी संगठनों, धार्मिक संगठनों ने भरपुर सहयोग प्रदान किया है। इसमें तुरंत सुविधाओं के रूप में शुरू में चद्दर के टीन शेड के बनाये हुए मकानों में पुनर्वास दिया। 2 या 3 महीने के बाद नया पुनर्वास दिया गया। सबसे प्रमुख बात यह सामने आयी कि विधवा महिलाओं को अलग से कोई सुविधा नहीं दी गयी। केवल सदस्य मृत्यु पर अनुदान राशि दी गयी।
- अवलोकन में देखा गया कि पुनर्वास के मकान में कीचन, बाथरूम, बरामदा दो कमरे हैं। बिजली, पानी की भी सुविधा है। जिसमें बिजली का बिल 500 रु. महीने से कम नहीं आता है। नल कनेक्शन का खर्चा 100 रु. प्रतिमाह है। जिसे नगर-पालिका को भरना पड़ता है।
- भूकंप में जो मकान टुट गये थे, उनके स्थान पर नयी जगह मकान बनाकर दिये गये थे। उस जगह को शासन द्वारा रख लिया गया। जो किराये से रह रहे थे, उनको भी पुनर्वास दिया गया। इस प्रक्रिया में भी पर्याप्त भ्रष्टाचार देखने को मिला क्योंकि जितना मकान टुटा उतनी जगह नहीं दी गयी तथा उसकी रजिस्ट्री कराने पर ही नया पुनर्वास दिया गया।
- गुजरात राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग भुज तालुका में जिला स्तर, तालुका स्तर ग्राम स्तर पर समितियाँ हैं। किन्तु सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन का संबंध प्रभावितों से नहीं है।
- आपदा प्रबंधन ने मकानों को टुटने तथा उनको राहत देने की जो श्रेणियों G 1 से G 5 तक बनाई उनमें अनियमितताएं पाई गयी।

सुझाव :-

- विधवा महिलाओं को रोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सिलाई, कढ़ाई बुनाई, रेसीपी, आदि के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए।
- आपदा प्रबंधन विभाग को एक स्वतंत्र विभाग घोषित कर दिया जाए तथा उसके कार्य में शासन का हस्तक्षेप खत्म कर दिया जाए।
- प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से बचने के लिए पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करके उन्हें प्रभावित क्षेत्र के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, साथ ही साथ आपदा से निपटने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के बनाने पर रोक लगा देना चाहिए। जिससे जन-धन की हानि की संभावना कम हो जाती है।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसे भवनों को चिन्हित किया जाना चाहिये जो जर्जर अवस्था में हैं। जिनके धराशाही होने की सर्वाधिक संभावना है।
- विधवा महिलाओं के लिये चलाई जा रही शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार की उत्तम व्यवस्था की जाना चाहिए। जिससे ये महिलाएं उनके बारे में जान सकें।
- भूकम्प रोधी मकानों बनाने हेतु विशेष डिजाइन तैयार करके जनहित में प्रकाशित करना चाहिए, जिससे उनकी उपयोगिता के बारे में लोगों को ज्ञान हो जाए।

संदर्भ सूची

1. सिंह. सविन्द्र. : “पर्यावरण भूगोल”, (2012), प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पेज नं. 350-351
2. हुसैन. माजिद., सिंह. रमेश : “भारत का भूगोल”, (2012), टाटा मॅकग्रा हिल, नई दिल्ली, पेज नं. 17.1
3. तिवारी. आर.सी., : “भारत का भूगोल”, (2012), प्रवालिका प्रकाशन, इलाहाबाद, पेज नं. 606

4. नीतिमार्ग पत्रिका, अप्रैल, (2011), “आपदाओं को आमंत्रण”, अंक 2, भोपाल, पेज न. 8
5. तहलका पत्रिका (मई 2012) पृ. सं 40–41
6. www.ngdc.noaa.gov.
7. www.vibrantgujrat.com/kutch,district
8. www.m7.7bhujrepublicdayearthquake2001.com
9. www.rehabilitationpolicyingujrat.com
10. [2001 gujrat earthquake.com](http://2001gujratearthquake.com)



Dharmendra Singh Chouhan

Ph.D. Scholar (Geography), S.A.B.V. G.A.C.C. (DAVV), Indore, M.P., India

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- ★ International Scientific Journal Consortium
- ★ OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org